



ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधियक, 2019

चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक अधियक **ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधियक, 2019** पारित किया।

ट्रान्सजेंडर

Transgender

- ट्रान्सजेंडर वह व्यक्ती है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है।
- जब किसी व्यक्ती के जननांगों और मसूतषिक का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है तब महिला यह महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष यह महसूस करने लगता है कि वह महिला है।

प्रमुख बढि

- इस अधियक में ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- इस अधियक से हाशिये पर खड़े इस वर्ग के वरिद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से अनेक ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा।
- इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रान्सजेंडर व्यक्ती समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएंगे।
- ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शक्ति सुविधाओं की कमी, बेरोज़गारी, चकितिसा सुविधाओं की कमी, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारों की सुरक्षा) अधियक, 2019 एक प्रगतशील अधियक है क्योंकि यह ट्रान्सजेंडर समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाएगा।

ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारों का संरक्षण) अधियक, 2019

Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019

- ट्रान्सजेंडर व्यक्ती को परभाषित करना।
- ट्रान्सजेंडर व्यक्ती के वरिद्ध वभिद का प्रतषिध करना।
- ऐसे व्यक्ती को उस रूप में मान्यता देने के लिये अधिकार प्रदत्त करने और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करना।
- पहचान-पत्र जारी करना।
- यह उपबंध करना कि ट्रान्सजेंडर व्यक्ती को किसी भी स्थापन में नयोजन, भरती, प्रोन्नत और अन्य संबंधित मुद्दों के वषिय में वभिद का सामना न करना पड़े।
- प्रत्येक स्थापन में शकियत नविरण तंत्र स्थापित करना।
- अधियक के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना।

भारत में ट्रांसजेंडर्स के समकष आने वाली परेशानयिँ

- ट्रांसजेंडर समुदाय की वभिन्नि सामाजकि समस्याएँ जैसे- बहषिकार, बेरोज़गारी, शैक्षिक तथा चकित्सा सुवधियों की कमी, शादी व बच्चा गोद लेने की समस्या, आदि।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मताधिकार वर्ष 1994 में ही मलि गया था, परंतु इन्हें मतदाता पहचान-पत्र जारी करने का कार्य पुरुष और महिला के प्रश्न पर उलझ गया।
- इन्हें संपत्तिका अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे कुछ कानूनी अधिकार भी नहीं दयि जाते हैं।
- इन्हें समाज द्वारा अक्सर परतियक्त कर दयि जाता है, जसिसे ये मानव तस्करी का आसानी से शिकार बन जाते हैं।
- अस्पतालों और थानों में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार कयि जाता है।

सामाजकि तौर पर बहषिकृत

- भारत में कनिनरों को सामाजकि तौर पर बहषिकृत कर दयि जाता है। इसका मुख्य कारण इन्हें न तो पुरुषों की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं की, जो लैंगिक आधार पर वभिजन की पुरातन व्यवस्था का अंग है।
- इसका नतीज़ा यह होता है किये शकिषा हासलि नहीं कर पाते हैं और बेरोज़गार ही रहते हैं। ये सामान्य लोगों के लयि उपलब्ध चकित्सा सुवधियों का लाभ तक नहीं उठा पाते हैं।
- इसके अलावा ये अनेक सुवधियों से भी वंचति रह जाते हैं।

और पढ़ें...

[लोकसभा में ट्रांसजेंडर वधियक पास](#)

[ट्रांसजेंडर होना मानसकि वकिार नहीं](#)

[केरल में आधिकारकि तौर पर 'ट्रांसजेंडर' शब्द के प्रयोग की घोषणा](#)

स्रोत: PIB

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/transgender-persons-protection-of-rights-bill-2019>

